संख्या— /VI/2018—5(9)2008—T.C-I[st](2016)

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 28 जून, 2018

विषयः— विभिन्न कीडा संघों एवं क्लबों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—236/प्रति0अनुदान पत्रा0/2018—19, दिनांक 08 जून, 2018 एवं मा0 विभागीय मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018—19 हेतु अनुदान संख्या—11—लेखाशीर्षक—2204—खेलकूद तथा युवा सेवायें—00—104—खेलकूद के अन्तर्गत—12—प्रदेशीय कीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य कीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर कय हेतु अनावर्तक अनुदान—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में आय—व्ययक के माध्यम से आवंटित धनराशि ₹ 50.00 लाख के सापेक्ष तालिका में अंकित खिलाड़ी को ₹ 51,300/—(₹ इक्यावन हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र.सं.	संघ/संस्था/क्लब आदि का नाम	प्रयोजन	धनराशि
1.	सुश्री नीरजा गोयल	स्पोर्ट्स व्हील चेयर खरीदने हेतु आर्थिक सहायता	₹ 51,300/—
		योग	₹ 51,300/—

(₹ इक्यावन हजार तीन सौ मात्र)

2— उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मदवार व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय—समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा वास्तविक व्यय के आधार पर ही आहरण/व्यय किया जाय।

3— उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। योजना संबंधी शासनादेश संख्या—408/VI-I/2009, दिनांक 30 नवम्बर, 2009 एवं इस विषय पर समय—समय पर जारी अन्य दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा समिति के सम्मुख प्रस्ताव रखते समय प्राथमिकताओं को भी इंगित करते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

क्रमशः—2/—पर

4– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

5– उक्त अनुदान के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय –16–क–अनुच्छेद–369 के सुसंगत प्राविधानों उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अनुदान सम्बन्धी विद्यमान अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–104–खेलकूद के अन्तर्गत–12–प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता** मद के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 433/VI/2018–5(9)2008–T.C-I[st](2016),तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. जिला क्रीड़ा अधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. सुश्री नीरजा गोयल C/O सूर्यप्रकाश बर्तन भण्डार, 32 मेन बाजार, ऋषिकेश।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

F:\August 2015\Budget\G.O..doc